

कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाडी, जिला धौलपुर

क्रमांक 151

दिनांक 4.5.20

आम-सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 17/पी.आई./2020 दिनांक 02.05.2020 तथा परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 16.05.2020 तक के कार्य दिवस में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी, आवश्यक सुनवाई समय प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे की जावेगी।

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. अपील की दशा में सजा स्थगन प्रार्थना पत्र
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि	
	दीवानी प्रकरण	सेशन प्रकरण
04-05-2020	09-07-2020	11.06.2020
05-05-2020	10.07.2020	12.06.2020
06-05-2020	13.07.2020	15.06.2020
07-05-2020	14.07.2020	16.06.2020
08-05-2020	15.07.2020	17.06.2020
11-05-2020	16.07.2020	18.06.2020
12-05-2020	17-07-2020	19.06.2020
13-05-2020	18-07-2020	20.06.2020
14-05-2020	20-07-2020	22.06.2020
15-05-2020	21-07-2020	23.06.2020
16-05-2020	22-07-2020	24.06.2020

परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सीआईएस 3.0 पर अपडेट कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रभावी किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बाडी, जिला धौलपुर

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बाडी को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करे कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बाडी, जिला धौलपुर